



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly Known as Kanpur University Kanpur-208024)

पत्रांक-सी.एस.जे.एमवि.वि./आर०कैम्प०/1194/2022

दिनांक: 03/09/2022

कार्यालय-ज्ञाप

आदेशानुसार, उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या-1978/सत्तर-3-2021 दिनांक-19.08.2021 के क्रम में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभागों/कार्यालयों में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों हेतु आन्तरिक शिकायत निवारण समिति का गठन सत्र 2022-23 हेतु निम्नवत् किया जाता है:-

1. प्रो० अंशू यादव, आचार्य, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर। (समन्वयक)
2. डॉ० वृष्टि मित्रा, निदेशक, यू०आई०ई०टी०, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
3. डॉ० अनुराधा कलानी, सह-आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
4. डॉ० विनोद कुमार वर्मा, सहा० आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
5. डॉ० प्रवीन कटियार, कुलानुशासक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. डॉ० किरन झा, सह-आचार्य, समाज कार्य विभाग, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
7. डॉ० स्मिता श्रीवास्तव, सहा० आचार्य, अटल विहारी बाजपेयी लीगल स्टडीज, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
8. डॉ० बिन्देव कुमारी, सिंह, अध्यक्ष, ऑल इण्डिया वीमेन्स डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेल, कानपुर।
9. सुश्री दीप्ती, सदस्य, एन०जी०ओ०।
10. श्रीमती अंजलि मौर्या, सहा० कुलसचिव, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
11. श्रीमती प्रतिमा अस्थाना, प्रधान सहायक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।

उक्त समिति से अपेक्षा है कि कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 के अनुसार कार्यवाहियों की यथा-स्थिति पर ध्यान केन्द्रित करने का कष्ट करें।

डा० (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समिति के समस्त सदस्यगण।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या-1978/सत्तर-3-2021 दिनांक-19.08.2021 के संदर्भ में।
3. प्रो० अंशू यादव, समन्वयक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में ई-मेल आईडी बनाते हुये विभागों/संस्थानों/कार्यालयों को अपने स्तर से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
4. प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चरपा कराते हुये उक्त से सम्बन्धित अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
5. समस्त डीन/निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी/कुलानुशासक/मुख्य वार्डन/वार्डन/डी०एस०डब्ल्यू/अधिकारीगण/कर्मचारीगण को इस आशय से प्रेषित कि अपने विभाग के नोटिस बोर्ड पर चरपा कराते हुये उक्त से सम्बन्धित अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
6. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7. प्रभारी, पी०एम०यू० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के होम पेज पर प्रदर्शित कराने एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
9. वैय० सहा० प्रति-कुलपति।
10. वैय० सहायक वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।
11. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव